।। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर।।

प्रैस–नोट

दिनांकः– 19.04.2017

4 गौतस्करों को गिरफ्तार कर 63 गौवंश कराये मुक्त

1. **थाना सीकरीः–** श्री भूरीसिंह स0उ0नि0 को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि 3–4 गौतस्कर गौवंश को लेकर जंगल गांव बल्देववास की तरफ से पैदल–पैदल गौकशी हेतु हरियाणा की तरफ ले जा रहे है। इस सूचना पर स0उ0नि0 मय जाप्ता के मुखविर के बताये सांकेतिक स्थान पर पहुॅचे तो 4 गौतस्कर 1 बैल, 1 बछडा, 2 बछीया व 59 गाय (कुल 63 गौवंश) को पैदल–पैदल गौकसी हेतु ले जाते हुये दिखाई दिये जिनको घेरा देकर गौतस्कर **1. नंदराम, 2. मंगल, 3. कन्हैयालाल पुत्रान गुट्टीराम** व **4. गुट्टीराम पुत्र मुंशी जातियान गुर्जर निवासियान बौलखेडा थाना कामां** को गिरफतार किया जाकर गौवंशों को मुक्त कर गौशाला के सुपुर्द किया गया। तथा थाने पर गौतस्करों के विरूद्व मु0नं0 90/17 धारा 5, 8 आरबीए एक्ट में मामला पंजीबद्व किया गया है।

अवैध चाकू सहित पुलिस शिकंजे में

1. **थाना कामांः–** श्री राममिलन उ0नि0 मय जाप्ता द्वारा गस्त के दौरान मुखविर की सूचना पर कोसी चौराहा कस्वा कामां से **1. शाकिर पुत्र मजीद जाति मेव निवासी जटवास थाना सीकरी** को एक अवैध चाकू (छुरा) लेकर घूमते हुये पाये जाने पर आरोपी शाकिर को गिरफतार कर थाने पर मु0नं0 153/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

अवैध शराब सहित 8 जनों को धर दबोचा

326 पव्वा व 10 लीटर कच्ची शराब बरामद

भगवानसिंह राजकुमार नारायण गोविन्दा प्रहलाद सुखवीर राजू राजेन्द्रसिंह

जिले में अवैध शराब तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों से 31 बोतल बीयर, 48 पव्वा अंग्रेजी, 278 पव्वा देशी व 10 लीटर अवैध कच्ची शराव जप्त कर 8 ब्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

1. **थाना उद्योगनगरः–** उद्योगनगर पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर अलग–अलग स्थानों से **1. भगवानसिंह पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी कवई थाना नदबई हाल पुराना रीको क्षेत्र थाना उद्योगनगर** व **2. राजकुमार उर्फ राजू पुत्र ग्यासीराम जाति जाटव निवासी चारथोक जघीना थाना डद्योगनगर** को क्रमशः 53 व 55 पव्वा (कुल 108 पव्वा) अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 108, 109/17 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।
2. **थाना बयानाः–** श्री वीरविक्रमसिंह स0उ0नि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर नगला शीशो से **1. नारायण पुत्र विशन जाति धोबी निवासी नगला शीशो थाना बयाना** को 47 पव्वा अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु0नं0 273/17 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
3. **थाना डीगः–** डीग पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर अलग–अलग स्थानों से **1. गोविन्दा पुत्र चेतराम जाति गुर्जर निवासी अऊगेट कस्वा डीग** को 75 पव्वा अवैध देशी शराव के एवं **2. प्रहलाद पुत्र यादराम जाति जाट निवासी गारौली थाना डीग** को 20 बोतल बीयर के तथा **3. सुखवीर पुत्र गोकुल जाति जाट निवासी अऊगेट कस्वा डीग** को 48 पव्वा अवैध अंग्रेजी शराव व 11 बोतल बीयर के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 160, 162, 163/17 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।
4. **थाना कामांः–** श्री राजश कुमार हैड कानि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर गोपीनाथ मौहल्ला कस्वा कामां से **1. राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र बृजकिशोर उर्फ बिरजू जाति ठाकुर निवासी गोपीनाथ मौहल्ला कस्वा कामां** को 48 पव्वा अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु0नं0 152/17 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

5. **थाना जुरहराः–** श्री मोहनसिंह स0उ0नि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर लाडलाका पुलिया के पास से **1. राजेन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह जाति रायसिक्ख निवासी सहसन थाना जुरहरा** को 5 लीटर अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु0नं0 103/17 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
6. **थाना पहाडीः–** श्री किशनपालसिंह स0उ0नि0 को गांव जसौती में वावर्दी आता देख आरोपी दामोदर उर्फ दम्मो पुत्र गिर्राज जाति आगरी निवासी जसौती थाना पहाडी अवैध शराव को मौके पर ही छोड भाग गया था। पुलिस द्वारा मौके से 5 लीटर अवैध देशी शराव को जप्त कर फरार आरोपी दामोदर उर्फ दम्मो के विरूद्व थाने पर मु0नं0 93/17 धारा 16/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

टट्लू बाज चढा पुलिस के हत्थे

1. **थाना कुम्हेरः–** दिनांक 26.07.2016 को थाना कुम्हेर पर तैनात कानि0 श्री राजेशसिंह के मोबाइल पर एक अनजान शक्स के मोबाइल से कॉल आया था। और बताया कि मैं बस स्टैण्ड कुम्हेर पर हूॅ। मेरे पास सोने की ईंट है। जो हमारे मकान की नींव खोदते समय मिली है। मुझे पैसों की आवश्यकता है। इसलिये आपको सस्ते दामों में दे दॅूगा। उक्त कॉल वार्ता पर पुलिसकर्मी पंचायत समिति कुम्हेर के गेट पर पहॅुचे। तथा कानि0 श्री नरेन्द्रकुमार, श्री राजवीरसिंह तथा श्री राजेशसिंह को सादा वस्त्र में बस स्टैण्ड कुम्हेर पर उक्त शख्स से मिलने पर गुप्त इशारा देने के लिये निर्देश देकर रवाना किया था। श्री लालचन्द स0उ0नि0 ने बस स्टैण्ड कुम्हेर के इर्द–गिर्द कानि0 श्री राजेशसिंह पर नजर बनाये रखी। कुछ समय बाद कानि0 श्री राजेशसिंह से एक युवक बातचीत कर रहा था। कानि0 श्री राजेशसिंह ने दूर खडे जाप्ता को गुप्त ईशारा दिया जिस पर पुलिस जाप्ता ने उक्त शक्स जुबेर पुत्र हनीफ जाति मेव निवासी हींगोटा थाना खोह को पकड़ लिया था। जिसकी तलाशी लीगई तो पेन्ट की जेब में अखबार में लिपटी

हुई एक पीतल की ईंट मिली। इस सम्बन्ध में थाने पर मु0नं0 360/16 धारा 420, 120बी आईपीसी पंजीबद्व किया गया था। श्री भरतलाल स0उ0नि0 द्वारा उक्त मामले में आरोपी जुबेर के साथी **1. मुस्ताक पुत्र उस्मान जाति मेव निवासी नकटपुर थाना गोपालगढ** को गिरफतार कर आरोपी से पूछताछ जारी है।

ध्वनि प्रदूषण के मामलों में 2 आरोपी गिरफ्तार

1. **थाना कुम्हेरः–** श्री जलदीपसिंह उ0नि0 मय जाप्ता द्वारा गस्त व नाकाबंदी के दौरान थाने के सामने से ट्रैक्टर चालक **1. महेन्द्रसिंह पुत्र हरपालसिंह जाति जाट निवासी बरताई थाना कुम्हेर** को ट्रैक्टर में लाउडस्पीकर लगाकर सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में गाने बजाते हुये पाये जाने पर आरोपी ट्रैक्टर चालक महेन्द्रसिंह को गिरफतार कर स्पीकर, डेक मशीन, मैमारी कार्ड को जप्त कर थाने पर मु0नं0 138/17 धारा 4/6 राजस्थान ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्व किया गया है।
2. **थाना रूदावलः–** श्री लक्ष्मणसिंह स0उ0नि0 मय जाप्ता द्वारा गस्त व नाकाबंदी के दौरान खेरिया मोड से ट्रैक्टर चालक **1. सन्तोषकुमार पुत्र मुरारीलाल जाति जाट निवासी खेडी हैवत थाना रूदावल** को ट्रैक्टर में लाउडस्पीकर लगाकर सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में गाने बजाते हुये पाये जाने पर आरोपी सन्तोषकुमार ट्रैक्टर चालक को गिरफतार कर स्पीकर, डेक मशीन, मैमारी कार्ड को जप्त कर थाने पर मु0नं0 121/17 धारा 4/6 राजस्थान ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्व किया गया है।

मारपीट के मामले में 4 आरोपी पुलिस गिरफ्त में

1. **थाना नदबईः–** गांव खवासपुर थाना नदबई निवासी अमरचन्द पुत्र किशनसिंह जाति जाट ने गांव के ही फतेहसिंह वगैराह 15–20 जनों के विरूद्व एकराय होकर प्रार्थी व परिजनों के साथ घर में घुसकर मारपीट करने व पत्नि को बेअदव करने का एक मामला दिनांक 01.04.2017 को थाना नदबई पर मु0नं0 198/16 धारा 143, 323, 341, 325, 452, 354 भा0द0स0 में पंजीबद्ध कराया था। श्री पुरूषोत्तमलाल उ0नि0 द्वारा बाद अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. फतेहसिंह, 2. जगदीश उर्फ जग्गो, 3. महेन्द्रसिंह** व **4. मोरध्वज पुत्रान लच्छीराम जातियान जाट निवासी खवासपुर थाना नदबई** को गिरफतार किया गया है।

23 जुआरी/सटोरिया बन्द हवालात

12595 रूपये बरामद

भरतपुर पुलिस द्वारा जिले में जुआ/सट्टेवाजों के विरूद्व चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान कार्यवाही कर अलग–अलग स्थानों से 23 ब्यक्तियों को गिरफ्तार कर कब्जे से कुल 12595 रूपये नकद मय जुआ सामग्री/सट्टा उपकरण के जप्त किये गये हैं।

1. **थाना भुसावरः**– श्री गोपालराम स0उ0नि0 द्वारा गांव पथैना से **1. जीतेन्द्र पुत्र राजेन्द्र** एवं **2. जीतेन्द्र पुत्र तिमन जातियान जाटव निवासियान पथैना थाना भुसावर** को कमशः 230 व 210 रूपये (कुल 440 रूपये) मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 कमशः 171, 172/17 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

2. **थाना गोपालगढः**– श्री भूरीसिंह स0उ0नि0 द्वारा कस्वा गोपालगढ से **1. समयसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी कस्वा गोपालगढ** को 1010 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 42/17 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

3. **थाना कोतवाली भरतपुरः**– श्री यतेन्द्रसिंह हैड कानि0 द्वारा हरिजन बस्ती नई मण्डी भरतपुर से **1. विजयसिंह पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी नगला सवाईराम थाना कुम्हेर** को 140 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 144/17 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

4. **थाना उद्योगनगरः**– श्री फूलसिंह हैड कानि0 द्वारा चामण्ड मन्दिर के पास गांव तुहिया से **1. चरनसिंह पुत्र हण्डूराम जाति जाटव निवासी तुहिया थाना उद्योगनगर** को 140 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 110/17 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

5. **थाना नगरः**– नगर पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों से **1. रामकिशोर पुत्र शिम्भूराम, 2. प्रभूदयाल पुत्र नन्नूराम जातियान सैनी निवासियान पूँठका थाना नगर** तथा **3. खुर्शीद पुत्र ईस्माइल जाति मेव निवासी कस्वा नगर** को कमशः 380, 245 रूपये (कुल 625 रूपये) मय जुआ सामग्री/सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 कमशः 109, 110/17 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

6. **थाना मथुरागेटः**— मथुरागेट पुलिस द्वारा अलग—अलग स्थानों से **1. हुकमसिंह पुत्र शिवचरन** एवं **2. किशनसिंह पुत्र मूलचन्द जातियान जाटव निवासियान पटपरा मौहल्ला थाना मथुरागेट** को क्रमशः 510, 240 रूपये (कुल 750 रूपये) मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 255, 256/17 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

7. **थाना बयानाः**— श्री विजेन्द्रसिंह स0उ0नि0 द्वारा नगला खुशप्रेम से **1. बनैसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति कुशवाह निवासी नगला खुशप्रेम थाना बयाना** को 105 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 272/17 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

8. **थाना रूदावलः**— श्री समयसिंह हैड कानि0 द्वारा कस्वा रूदावल से **1. कैलाशी पुत्र बेदरिया जाति कोली निवासी कस्वा रूदावल** को 610 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 122/17 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

9. **थाना डीगः**— श्री विशालसिंह स0उ0नि0 द्वारा मेला मैदान कस्वा डीग से **1. महेश पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति माली निवासी भूडा दरवाजा कस्वा डीग** को 4680 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 161/17 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

10. **थाना सीकरीः**— श्री रतनसिंह स0उ0नि0 द्वारा कस्वा सीकरी से **1. गोविन्दा पुत्र कन्हैया जाति जाटव निवासी कस्वा सीकरी** को 220 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 89/17 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

11. **थाना उच्चैनः**— उच्चैन पुलिस द्वारा अलग—अलग स्थानों से **1. सतीश पुत्र रामखिलाडी जाति कुशवाह निवासी जुगलापट्टी कस्वा उच्चैन** व **2. किशनसिंह पुत्र नत्थी** तथा **3. गनपत पुत्र नानगाराम जातियान कुशवाह निवासियान सैदपुरा थाना उच्चैन** को क्रमशः 1000, 960, 460 रूपये (कुल 2420 रूपये) मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 89, 90, 91/17 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

12. **थाना पहाडीः**— श्री जीतेन्द्रकुमार हैड कानि0 द्वारा कस्वा पहाडी से **1. राशिद पुत्र इस्माइल जाति कुरेशी निवासी कस्वा पहाडी** को 120 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 94/17 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

13.थाना सेवरः– सेवर पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों से **1. समयसिंह पुत्र रतना जाति जाटव निवासी गोलपुरा, 2. थानसिंह पुत्र पीतम जाति जाटव निवासी कस्वा हलैना** एवं **3. राकेश पुत्र जोरावर जाति जाटव निवासी सिरस थाना वैर** को क्रमशः 360, 400 रूपये (कुल 760 रूपये) मय जुआ सामग्री/सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 168, 169/17 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

14. थाना रूपवासः– रूपवास पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों से **1. रवि पुत्र बच्चूसिंह जाति राठौर निवासी राठौर मौहल्ला कस्वा रूपवास** एवं **2. अजय पुत्र श्रीभान जाति जाटव निवासी जाटव मौहल्ला कस्वा रूपवास** को क्रमशः 315 व 260 रूपये (कुल 575 रूपये) मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 181, 182/17 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

शराव पीकर उत्पात मचाने के आरोप में 6 जनें गिरफ्तार

1. **थाना जुरहराः–** थानाधिकारी श्री योगेन्द्रसिंह उ0नि0 द्वारा कस्वा जुहररा से 1. बलवन्तसिंह पुत्र पालसिंह, 2. अशोकसिंह पुत्र करतारसिंह व 3. कुलदीपसिंह पुत्र रामसिंह जातियान रायसिक्ख निवासियान सहसन थाना जुरहरा को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

2. **थाना उद्योगनगरः–** श्री सुरेशकुमार स0उ0नि0 द्वारा रिको क्षेत्र से 1. पप्पू पुत्र दीपचन्द, 2. गोपाल पुत्र राजवीरसिंह व 3. महावीरसिंह पुत्र रतनलाल जातियान जाटव निवासियान चारथोक जघीना थाना उद्योगनगर को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

शान्ति भंग करने आरोप में 13 जनों को किया गिरफ्तार

1. **थाना चिकसानाः–** श्री मानसिंह हैड कानि0 द्वारा गांव बछामदी से 1. कमलसिंह पुत्र विभीचन्द जाति जाट निवासी बछामदी थाना चिकसाना को गिरफ्तार किया गया है।

2. **थाना वैरः–** श्री छत्तरसिंह हैड कानि0 द्वारा थाना परिसर से 1. मोहनसिंह पुत्र गिर्राज व 2. सीयाराम पुत्र मोहनसिंह जातियान माली निवासियान कस्वा वैर को गिरफ्तार किया गया है।

3. **थाना मथुरागेटः–** श्री पुष्पेन्द्रसिंह स0उ0नि0 द्वारा थाना परिसर से 1. चेतराम उर्फ चेतन व 2. नारायण पुत्रान सरमन जाति कोली निवासी मोरी चारबाग थाना मथुरागेट को गिरफ्तार किया गया है।

4. **थाना कोतवाली भरतपुरः–** श्री हरदमसिंह हैड कानि0 द्वारा थाना परिसर से 1. महेन्द्र उर्फ भोला पुत्र ओमप्रकाश जाति प्रजापत निवासी महतोली थाना चिकसाना हाल किरायेदार सुभाषनगर थाना कोतवाली भरतपुर को गिरफ्तार किया गया है।

5. **थाना रूपवासः–** श्री ओमप्रकाश स0उ0नि0 द्वारा कस्वा रूपवास से 1. विनोद पुत्र सामन्ता जाति बघेल व 2. टिन्कू पुत्र मुन्नालाल जाति धीमर निवासियान कस्वा रूपवास को गिरफ्तार किया गया है।

6. **थाना उच्चैनः–** श्री सत्यप्रकाश स0उ0नि0 द्वारा थाना परिसर से 1. मोहनसिंह, 2. ओमी पुत्रान रामजीलाल जाति जाटव निवासी कस्वा उच्चैन, 3. दिनेश पुत्र बृजमोहन व 4. बृजमोहन पुत्र दुलीचन्द जातियान जाटव निवासियान नारौली थाना रूदावल को गिरफ्तार किया गया है।

7. **थाना सेवरः–** श्री रामेश्वरसिंह हैड कानि0 द्वारा गांव लुधावई से 1. वीरेन्द्र पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी लुधावई थाना सेवर को गिरफ्तार किया गया है।

शराबी वाईक चालक पुलिस पकड में

1. **थाना गढीबाजनाः–** थानाधिकारी श्री लोकेन्द्रसिंह उ0नि0 द्वारा थाने के सामने से शराव के नशे में वाईक चलाते हुए पाये जाने पर आरोपी वाईक चालक **1. पप्पू उर्फ सुरेन्द्र पुत्र अमरसिंह जाति गुर्जर निवासी कोट थाना गढीबाजना** को गिरफतार कर मोटरसाईकिल को एम0वी0 एक्ट के तहत जप्त किया गया है।

118 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्यवाही

जिला भरतपुर में वाहन चालकों के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **118** वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई हैं। ओवरलोड में सभी प्रकार के वाहन दोपहिया, चौपहिया वाहनों के चालकों के खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्यवाही की गई है, जिससे ओवरलोड वाहनों से होंने वाली सडक दुर्घटनाओं से निजात मिल सके। ऑवरलोड कार्यवाही में

56 वाहन चालकों के चालान किये गये हैं। ऐसे वाहन चालक जो अपने वाहनों को नम्बर डाले वगैर सडकों पर दौडाते रहते हैं, और दुर्घटना करके भाग जाते हैं तथा चोरी के वाहनों का भी पता नहीं चल पाता है इसलिये बिना नम्बरी 18 वाहनों को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे बिना हेलमेट लगाये वाहन चलाना, दो व्यक्ति से ज्यादा, प्रैसर हॉर्न, लालबत्ती लगाना, नो पार्किंग आदि के आरोप में 44 वाहन चालकों के विरूद्व कार्यवाही की गई है।